

भारत सरकार
पत्रसूचना कार्यालय
गृह मंत्रालय

केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने देश में कृषि सुधार के लिए लोकसभा द्वारा दो महत्वपूर्ण विधेयक पारित होने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया

“मोदी सरकार के रूप में पहली बार कोई सरकार किसानों के सशक्तिकरण के लिए दिन रात काम कर रही है और कल लोकसभा में पारित हुए ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयक इसी दिशा में एक अभूतपूर्व कदम है”

“मोदी सरकार के यह ऐतिहासिक विधेयक किसानों व कृषि क्षेत्र को बल देंगे और उनको बिचौलियों व अन्य समस्याओं से मुक्त करेंगे”

“मोदी सरकार के इन विधेयकों से किसानों को उनकी उपज बेचने के लिए नये अवसर प्राप्त होंगे, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी”

“मोदी सरकार के यह ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण कृषि सुधार किसानों के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अहम भूमिका निभाएंगे”

“भारत के मेहनती किसान देश की खुशहाली और समृद्धि के वाहक हैं, जिन पर पूरे देश को अभिमान है”

नई दिल्ली, 18 सितंबर 2020

केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने देश में कृषि सुधार के लिए लोकसभा द्वारा दो महत्वपूर्ण विधेयक पारित होने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। अपने ट्वीट्स में श्री अमित शाह ने कहा कि “भारत के मेहनती किसान देश की खुशहाली और समृद्धि के वाहक हैं, जिन पर पूरे देश को अभिमान है। मोदी सरकार के रूप में पहली बार कोई सरकार किसानों के सशक्तिकरण के लिए इस तरह दिन रात काम कर रही है और कल लोकसभा में पारित हुए ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयक इसी दिशा में एक अभूतपूर्व कदम है”।

केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि “मोदी सरकार के यह ऐतिहासिक विधेयक किसानों व कृषि क्षेत्र को बल देंगे और उनको बिचौलियों व अन्य समस्याओं से मुक्त करेंगे। इन विधेयकों से किसानों को उनकी उपज बेचने के लिए नये अवसर प्राप्त होंगे, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी”।

श्री शाह ने यह भी कहा कि “यह ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण कृषि सुधार किसानों के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अहम भूमिका निभाएंगे। इन विधेयकों के पारित होने पर मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ”।

लोकसभा ने कल 'कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य(संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020' तथा 'कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक , 2020'को मंजूरी दी थी।

कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य(संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक एक इको -सिस्टम बनाएगा। इससे किसानों को अपनी पसंद के अनुसार उपज की बिक्री -खरीद की स्वतंत्रता होगी। वैकल्पिक व्यापार चैनल उपलब्ध होने से किसानों को लाभकारी मूल्य मिलेंगे और अंतरराज्यीय व राज्यक में व्यापार सरल होगा।

कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण)कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक में कृषि करारों पर राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का प्रावधान किया गया है , जो पारस्परिक रूप से सहमत लाभकारी मूल्य फ्रेमवर्क पर भावी कृषि उत्पादों की बिक्री व फार्म सेवाओं के लिए कृषि बिजनेस फर्मप्रोसेसर्स, एग्रीगेटर्स, थोक विक्रेताओं, बड़े खुदरा विक्रेताओं एवं निर्यातकों के साथ किसानों को जुड़ने के लिए सशक्ते व संरक्षित करता है।

<https://twitter.com/AmitShah/status/1306846625390764038?s=20>

<https://twitter.com/AmitShah/status/1306846754428518402?s=20>

<https://twitter.com/AmitShah/status/1306846847210631169?s=20>

एनडब्ल्यू/आरके/पीके/डीडीडी